(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन म0प्र0

प्र0 क्र0 - आर - 351 । 1 । 14

~~रिव्यू~~ - 1722-I-14

श्री [illegible] चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 5-6-14 को प्रस्तुत

[illegible] 5-6-14 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अब्दुलवहीद पिता अब्दुलरउफ शेरवानी आयु 50 वर्ष, निवासी सुसनेर जिला आगर म0प्र0 - आवेदक

विरूद्ध

अब्दुलमुतव्वली पिता अब्दुलरउफ शेरवानी निवासी सुसनेर जिला आगर हाल मुकाम मेहताल मंजिल अहिल्या पल्टन इन्दौर म0प्र0 - अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0 संहिता : पुनर्विलोकन:

(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1722–एक/14 जिला आगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–12–2014	आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित । 2– प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 351–एक/2014 में पारित आदेश दिनांक 4–3–2014 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । **प्रशासकीय सदस्य**	